



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक - 27 अगस्त 2024**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन"**

**अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या जैसी सनसनी खेज घटना में 78 दिन के अन्दर आरोपी को आजीवन कारावास व 52,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। बुलन्दशहर पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर पर पंजीकृत मुअसं- 493/24 धारा- 302,34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में आज दिनांक 27.08.2024 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 बुलन्दशहर) द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए स्पीडी ट्रायल कर साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 52,000/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

**घटना क्रम:-**

अभियुक्त अदनान पुत्र शाहिद निवासी साईबाबा वाली गली बडे मदरसे के पीछे मौ0 खीरखानी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 11.06.2024 को थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत कब्रिस्तान में एक महिला आसमां की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। इस वीभत्स घटना में अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा दिलाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री श्लोक कुमार द्वारा इस अभियोग की विवेचना एवं ट्रायल की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही थी। इस जघन्य अपराध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं 09 दिवस के अल्प समय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

**समय सारणी:-**

एफआईआर का दिनांक - 11.06.2024

गिरफ्तारी का दिनांक - 11.06.2024 (24 घंटे के अन्दर)

आरोप पत्र का दिनांक - 20.06.2024 (09 दिवस के अन्दर)

आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने का दिनांक - 26.06.2024

आरोप पत्र पर मा0 न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान - 26.06.2026

मा0 न्यायालय में चार्ज फ्रेम का दिनांक - 30.07.2024 (34 दिवस के अन्दर)

मा0 न्यायालय द्वारा सजा का दिनांक - 27.08.2024 (78 दिवस के अन्दर)

कुल तारीख जिनमें सुनवाई हुई - 13 (स्पीडी ट्रायल के तहत दिन-प्रतिदिन सुनवाई कराई गयी।)

## महत्वपूर्ण योगदान-

1. डा0 राकेश कुमार मिश्र  
अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/  
नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विकशन



2. श्री रोहित मिश्र  
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण



3. निरीक्षक श्री अजय कुमार  
विवेचक/तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर



4. अभियोजक श्री विजय शर्मा व श्री कुश कुमार



3. का0 सुनील कुमार  
पैरोकार थाना खुर्जा नगर



6. मॉनीटरिंग सैल जनपद बुलन्दशहर

1. प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल सिंह
2. है0का0 सुधीर कुमार, है0का0 अंकुर दीक्षित
3. का0 कुलदीप चौधरी

मीडिया सेल बुलन्दशहर